मुकदमा नम्बर 95/24

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
3.06.25	पत्रावली पेश। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण संख्या 1 से 14 को रूक-रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। कोई उपस्थित नहीं होने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूल वाद के निस्तारण तक जारी फरमावे। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। पूर्व में अप्रार्थीगण को विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। जिसमें मौजा कमालपुरा के खेत खसरा नम्बर 275 रकबा 0.82 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 418 रकबा 1.54 हैक्टेयर भूमी में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का उल्लेख है। [illegible] मामला सुविधा का [illegible] क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।	

(हस्ताक्षर)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिश्यिल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
	—: आदेश :— अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थीगण के विरूद्ध उस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा कमालपुरा के खेत खं.सं. 275 रकबा 0.82 हेक्टेयर, ख.स. 418 रकबा 1.54 हेक्टेयर में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner